



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़ एवं वन बल प्रमुख

अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब.गॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर - 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-827/2789

दिनांक 12/11/2021

प्रति,

प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन

नवा रायपुर, अटल नगर

विषय :-

Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Bharat Net Phase-II Bilaspur Division" Bharat Net project which is a GOI initiative Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPS & 85 Blocks through optic fibre cable laying of approximately 32,466KM The laying of Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the State, area- 6.897 ha. regarding

पंजीयन क्रमांक- FP/CG/OFC/42622/2019

- संदर्भ:- 1. छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ - 5-14/ 2020/ 10-2 दिनांक 27.05.2021
2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/ तक / 2975 दिनांक 26.10.2021

※ ※ ※ ※ ※

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र -1 के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग द्वारा 8 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई थी।

मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर द्वारा संदर्भित पत्र-2 के माध्यम से बिन्दुवार जानकारी इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जो निम्नानुसार है:-

क्र.	त्रुटियों का विवरण	निराकरण / स्पष्टीकरण
1	कार्यालयीन पत्र क्रमांक/1166 दिनांक 05.06.2021 का उत्तर अप्राप्त है एवं ऑनलाईन ई.डी.एस. में भी जानकारी अपलोड नहीं किया गया है।	प्रस्ताव अंतर्गत विद्यमान विसंगतियों का परीक्षण एवं निराकरण करने के लिये दिनांक 26.06.2021 को वनमंडल बिलासपुर कार्यालय में वन विकास निगम, आवेदक विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। समीक्षा बैठक का कार्यवाही विवरण कार्यालयीन पृ.क्र. /तक./2860 दिनांक 29.06.2021 (पत्र सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न) द्वारा अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.), छत्तीसगढ़ रायपुर, मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त बिलासपुर एवं मंडल प्रबंधक, कोटा परियोजना मंडल बिलासपुर, आवेदक विभाग को प्रेषित किया गया है। वर्तमान में ऑनलाईन ई.डी.एस. में कार्यालयीन पत्र क्र./तक./1160 दिनांक 31.08.2021 अपलोड किया गया है।
2	ऑनलाईन फार्म-ए में नवीन प्रस्ताव अनुसार सुधार नहीं किया गया है।	आवेदक विभाग के पत्र क्र./1670 दिनांक 25.09.2021 द्वारा प्राप्त ऑनलाईन फार्म-ए में नवीन प्रस्ताव अनुसार सुधार किया गया है।

क्र.	त्रुटियों का विवरण	निराकरण / स्पष्टीकरण
3	नवीन प्रस्ताव अनुसार के.एम.एल. फाईल एवं डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट मय सी.डी. प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।	नवीन प्रस्ताव अनुसार के.एम.एल. फाईल एवं डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट मय सी.डी. प्रस्ताव के साथ संलग्न है। कृपया पृष्ठ क्रमांक 70-103 का अवलोकन करें। (संलग्नक-1)।
4	Form A Part-II के अतिरिक्त जानकारी में प्रस्ताव के समस्त 21 बिन्दुओं की सत्यापित प्रपत्र अपलोड करें।	Form A Part-II के अतिरिक्त जानकारी में प्रस्ताव के समस्त 21 बिन्दुओं की सत्यापित प्रपत्र अपलोड कर दिया गया है।
5	नवीन प्रस्ताव अनुसार सत्यापित वनस्पति मानचित्र प्रस्ताव में संलग्न नहीं किया गया है।	वनस्पति मानचित्र में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। उक्त मानचित्र मूल प्रस्तावों के साथ संलग्न है (संलग्नक-2)।
6	एफ.एम.आई.एस. द्वारा प्रकरण में प्रदायिक वनस्पति मानचित्र का डी.जी.पी.एस., के.एम.एल. फाईल/शेप फाईल से मिलान का सत्यापन संबंधी प्रमाण पत्र मय वनमंडलाधिकारी के हस्ताक्षर सहित प्रस्ताव में संलग्न करें।	रीजनल जियोमेटिक सेंटर बिलासपुर द्वारा प्रकरण में प्रदायिक वनस्पति मानचित्र का डी.जी.पी.एस., के.एम.एल. फाईल/शेप फाईल से मिलान का सत्यापन संबंधी प्रमाण पत्र वनमंडलाधिकारी के हस्ताक्षर सहित संलग्न है (संलग्नक-3)।
7	आवेदित वन भूमि विवरण का सत्यापन डी.जी.पी.एस. सर्वे डाटा (के.एम.एल. फाईल/शेप फाईल) का वनमंडल कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर संबंधित मानचित्रकार/तकनीकी अधिकारी से कराया जाकर इस बाबत भी सत्यापन प्रमाण पत्र संलग्न करें।	आवेदित वन भूमि विवरण का सत्यापन डी.जी.पी.एस. सर्वे डाटा (के.एम.एल. फाईल/शेप फाईल) का वनमंडल कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर प्रभावित वन कक्षों का मिलान संबंधित मानचित्रकार से कराया गया है एवं प्रभावित वन भूमि का रकबा का सत्यापन रीजनल जियोमेटिक सेंटर बिलासपुर से कराया गया है। रीजनल जियोमेटिक सेंटर बिलासपुर से प्राप्त Computed Area Statement की प्रति संलग्न है (संलग्नक-4)।
8	संबंधित वनमंडल द्वारा सत्यापित वनस्पति मानचित्र एवं आवेदित वन भूमि के डी.जी.पी.एस. सर्वे डाटा (के.एम.एल. फाईल/शेप फाईल) का सत्यापन प्रमाण पत्र वृत्त कार्यालय के मानचित्रकार/तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षर सहित संलग्न करें।	आवेदित वन भूमि विवरण का सत्यापन डी.जी.पी.एस. सर्वे डाटा (के.एम.एल. फाईल/शेप फाईल) का रीजनल जियोमेटिक सेंटर बिलासपुर से प्राप्त Computed Area Statement एवं वनमंडलाधिकारी बिलासपुर द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न है (संलग्नक-5)।

उपरोक्तानुसार मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर से प्राप्त बिन्दुवार जानकारी आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार


(सुनील मिश्रा)
 अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / वं. स. अ)
 छत्तीसगढ़

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
2. वन मंडलाधिकारी, बिलासपुर वन मंडल, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), सिविल लाईन, रायपुर।


अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / वं. स. अ)
छत्तीसगढ़